उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1153/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी.सी.63-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(261)-2022

लखनऊः दिनांकः 31 दिसंबर, 2022

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तावनवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तावनवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 15 नवम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।
प्ररूप जीएसटीआर-9 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, - (क) अंक, अक्षर और शब्द "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में 30 नवंबर 2022 तक" रख दिये जायेंगे; (ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, - (I) क्रम संख्या 10 और 11 के समक्ष, अंक और शब्द "अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररुप जीएसटीआर-1" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए प्ररुप जीएसटीआर-1" रख दिये जायेंगे; (II) क्रम संख्या 12 के समक्ष, अंक और शब्द "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" रख दिये जायेंगे;

		(III) क्रम संख्या 13 के समक्ष, अंक और शब्द "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव